

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती सुनिता यादव, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या - 219 / 2022

उनवान

1-2 देबीलाल, सम्पत पुत्र दयाराम चमार निवासी रुघनाथपुरा

- प्रार्थीगण

बनाम

- 1- मीठु पिता उदा बैरवा निवासी रुघनाथपुरा तहसील शाहपुरा
- 2- उगमा पिता मांगू बैरवा निवासी रुघनाथपुरा तहसील शाहपुरा
- 3- रामजस पिता धन्ना जाट निवासी रुघनाथपुरा तहसील शाहपुरा
- 4- सीतारामदास पिता बंशीदास वैष्णव निवासी रुघनाथपुरा तहसील शाहपुरा
- 5- देवा पिता चुना बैरवा निवासी रुघनाथपुरा तहसील शाहपुरा
- 6- मिठूदास पिता बंशीदास वैष्णव निवासी रुघनाथपुरा तहसील शाहपुरा
- 7- रामजस पिता लाडु बैरवा निवासी रुघनाथपुरा तहसील शाहपुरा
- 8- जमालूदीन भाटी पिता ईस्माईल भाटी निवासी शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 9- भैरू पिता नारायण बैरवा निवासी रुघनाथपुरा तहसील शाहपुरा
- 10- रामबक्ष पिता छीतर बैरवा निवासी रुघनाथपुरा तहसील शाहपुरा
- 11- सुरेश मेहता पिता रामनाथ पटवारी मेहता निवासी ढीकोला
- 12- भैरू पिता गोकल जाट निवासी रुघनाथपुरा तहसील शाहपुरा
- 13- देबी पिता धूकल जाट निवासी रुघनाथपुरा तहसील शाहपुरा
- 14- शिवराज पिता चन्दा रेगर निवासी रुघनाथपुरा तहसील शाहपुरा
- 15- रामप्रसाद पिता पन्ना जाट निवासी रुघनाथपुरा तहसील शाहपुरा
- 16- रामबक्ष पिता मगना बैरवा निवासी रुघनाथपुरा तहसील शाहपुरा

- विपक्षीगण

उपस्थिति :- श्री मोहम्मद शरीफ

अधिवक्ता प्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

-:: निर्णय ::-

दिनांक- 16.08.2022

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरुद्ध विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है - ग्राम रुघनाथपुरा पटवार हल्का रुघनाथपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 130 रबा 0.36 है0, 1325 रकबा 0.10 है0, 1329 रकबा 0.12 है0, 1366 रकबा 0.09 है0, 141 रकबा 0.12 है0, 145 रकबा 0.19 है0, 1890/1740 रकबा 0.06 है0, 243 रकबा 0.07 है0, 244 रकबा 0.55 है0, 248 रकबा 0.38 है0, 558 रकबा 0.15 है0, 564 रकबा 0.13 है0, 610 रकबा 0.16 है0 कुल कित्ता 16 रकबा 2.48 हैक्टेयर के प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगद्दी करवाई जावे।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 7, 9, 10, 12, 14 लगायत 16 बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी तथा विपक्षीगण सं0 8, 11, 13 के विरुद्ध अभिभाषक प्रार्थीगण के कोई कार्यवाही नहीं चाहने से उनके विरुद्ध कार्यवाही ड्रॉप की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थीगण सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी ग्राम रुघनाथपुरा पटवार हल्का रुघनाथपुरा संवत 2074 से 2077 तक का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् प्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज होकर अपनी आराजीयात् की पत्थरगद्दी कराना चाहते है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा रुघनाथपुरा में स्थित प्रार्थीगण की उपरोक्त संयुक्त खातेदार की आराजीयात् कित्ता 16 रकबा 2.48 हैक्टेयर की पुख्ता पत्थरगद्दी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नही करते हुये पत्थरगद्दी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगद्दी हेतु कमिश्नर फीस 1000/- रुपये कायम किये जाते है, जो प्रार्थीगण से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगद्दी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तहसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.08.2022 को सरे ईजलास सुनाया गया।



प्रतिलिपि :- तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगद्दी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

(सुनिता यादव)

उपखण्ड अधिकारी

एवं सहायक कलक्टर

शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

शाहपुरा जिला भीलवाड़ा